न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र न्यूसेन्स : 03/2019

दायर दिनांकः 15.11.2019

निर्णय दिनांक 30.12.2021

—:अनवानः—

सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमंद

— प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स धोलीखान सेन्टर प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री रामकरण भाकर पिता श्री रामचन्द्र भाकर निवासी पाईलीगांव तहसील डीडवाना जिला नागौर जरिये हरिसिंह राव पिता मानसिंह राव निवासी खाम की मादडी पोस्ट रख्यावार, तहसील मावली जिला उदयपुर
2. मैसर्स बालाजी मार्बल भागीदार श्री मनोज पालीवाल पिता प्रकाश पालीवाल निवासी किशोरनगर मण्डा राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री हनुमंतसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी जोधपुर हॉल सार्दूलखेडा तहसील व जिला राजसमन्द हॉल कर्मचारी मैसर्स बालाजी मार्बल
4. श्री सुर्यप्रकाश पिता राजेश चोधरी निवासी हरनाथपुरा झुझुनु हॉल सार्दूलखेडा तहसील व जिला राजसमन्द हॉल कर्मचारी मैसर्स धोलीखान मार्बल सेन्टर
5. मैसर्स द्वारकेश मार्बल सेन्टर, सार्दुलखेडा तहसील व जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण

न्यूसेंसो को हटाने के लिए आदेश (धारा 133)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री शेषमल गाडरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02
3— अप्रार्थी संख्या 03 व 04 अनुपस्थित
4— श्री अमित सरूपरिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार ग्राम सार्दुलखेडा तहसील राजसमन्द के आराजी नं0 412 रकबा 281.13 बीघा किस्म पहाड़ (खनन क्षेत्र) बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि में से 24.00 बीघा भूमि पर अवैध डम्पिंग किया गया है। निर्धारित डम्पिंग यार्ड मे डम्पिंग न कर बिलानाम सरकारी पड़त भूमि पर अवैध डम्पिंग कर दिया है अपने लीज एरिया के बाहर सरकारी भूमि पर अवैध डम्पिंग करना, लीज आवंटन शर्तो का उल्लघंन है। और पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी मे आता है। इसके साथ ही ठोस अपशिष्ठ का सही निस्तारण न होने से आपका कृत्य ठोस अपशिष्ट प्रदूषण की श्रेणी मे आता है। जिसके संदर्भ में माननीय न्यायालय व एन0जी0टी0 द्वारा समय—समय पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते रहे है। इस डाले गये वेस्टेज मलबे

से पहाड बन गया है। जो अत्यन्त गंभीर है और इस कृत्य से आम जन–मानस पर विपरित प्रभाव पड रहा है। तहसीलदार, राजसमन्द की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सार्दुलखेडा तहसील राजसमन्द के आ0नं0 412 किस्म पहाड मे लीज एरिया के बाहर सरकारी बिलानाम भूमि पर मैसर्स धोलीखान मार्बल सेन्टर प्रा0लि0 तथा मैसर्स बालाजी मार्बल द्वारा लगभग 24.00 बीघा भूमि पर अवैध डम्पिंग कर दिया है, इस प्रकार बेशकिमती राजकीय भूमि पर अवैध डम्पिंग कर पहाड बना दिया है, जिसके जिम्मेदार दोनो लीज–धारक है । उक्त दोनो लीज धारकों द्वारा लीज आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया जाकर निर्धारित जगह डम्पिंग न कर खाली पडी राजकीय भूमि पर डम्पिंग किया है, जो कि अवैध है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के प्रकरण संख्या 117/2018 प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बअनवान मैसर्स धोलीखान मार्बल सेन्टर प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री रामकरण भाकर वगैराह बनाम बशीरूदीन पिता हबीब मोहम्मद मुसलमान वगैराह मे पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 मे भी आपको सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके मलबा डालने का दोषी माना था। प्रार्थीगण को आदेशित किया गया था कि आवंटित खनन क्षेत्र के अलावा अतिक्रमित राजकीय भूमि पर डाले गये मार्बल वेस्ट को तत्काल प्रभाव से हटाया जाकर निर्धारित डम्पिंग यार्ड मे शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार, राजसमन्द राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 व 91(6) के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। परन्तु आप द्वारा दिनांक 04.10.2019 तक मलबे को हटाने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये। कुछ जागरूक नागरिको द्वारा आपको सरकारी भूमि पर अवैध मार्बल स्लरी डालने से रोके जाने पर, उन लोगो के विरूद्ध आप द्वारा सहायक जिला कलक्टर न्यायालय राजसमन्द के यहा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें आपके स्वयं के प्रार्थना पत्र मे स्वीकार किया है कि आप द्वारा सरकारी बिलानाम भूमि पर अवैध डम्पिंग किया गया है तथा उक्त भूमि पर आपके द्वारा किया गया अवैध स्लरी डम्पिंग को रोकने का अधिकार निजी व्यक्ति को नहीं होकर सरकार को है। इस संबंध मे आप द्वारा निजी व्यक्ति के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा का आदेश फरमाये जाने का अनुरोध किया गया था जिस पर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के द्वारा आपके प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर स्थगन आदेश को Vacate किया गया है। अतः आपके इस कृत्य से पब्लिक न्यूसेंस होना सिद्ध होता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.11.2019 को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें यह तथ्य अंकित किये है कि मैसर्स धोलीखान मार्बल प्रा0लि0 एवं मैसर्स बालाजी मार्बल द्वारा आवंटित लीज के आधार पर ही ग्राम सार्दुलखेडा मे स्थित अपनी आराजी नं0 412 किस्म पहाड़ पर खनन किया जा रहा है तथा आवंटित लीज एरिये के बाहर कोई अवैध डम्पिंग कार्य प्रार्थीगणों द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगणों की उक्त भूमि की किस्म पहाड़ जिससे डम्पिंग कार्य करने से पहाड़ बनना गलत तथ्य है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटित लीज के आधार पर ही डम्पिंग कार्य किया जा रहा है। जो किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है तथा आवंटित लीज के आधार पर ही अपनी भूमि पर खनन किया जा रहा है। सरकारी भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या कथन अंकित कर अन्य लोगो द्वारा कार्यवाही की जा रही है ताकि प्रार्थीगण को खनन कार्य करने से रोका जा सके। जबकि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थीगण अपनी भूमि पर कई वर्षो से खनन कार्य बिगर किसी रोक टोक के करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के खनन कार्य से कोई पब्लिक न्यूसेन्स नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा किये जा रहे खनन कार्य से न तो किसी प्रकार का प्रदुषण हो रहा है और न ही किसी प्रकार कोई हानि हो रही है। साथ ही प्रार्थीगण को आंवटित लीज एरिये पर ही प्रार्थीगण द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण को स्वीकृत लीज क्षेत्र में खनन करने से प्रार्थीगण को नहीं रोके।

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम सार्दुलखेडा तहसील राजसमन्द के आ0नं0 412 किस्म पहाड मे लीज एरिया के बाहर सरकारी बिलानाम भूमि पर मैसर्स धोलीखान मार्बल सेन्टर प्रा0लि0 तथा मैसर्स बालाजी मार्बल द्वारा लगभग 24.00 बीघा भूमि पर अवैध डम्पिंग कर दिया है, इस प्रकार बेशकिमती राजकीय भूमि पर अवैध डम्पिंग कर पहाड बना दिया है, जिसके जिम्मेदार दोनो लीज–धारक है । उक्त दोनो लीज धारकों द्वारा लीज आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया जाकर निर्धारित जगह डम्पिंग न कर खाली पडी राजकीय भूमि पर डम्पिंग किया है, जो कि अवैध है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को उक्त बिलानाम भूमि पर अवैध डम्प नहीं किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा दोहराने बहस में यह कथन किया गया है कि हमारे द्वारा उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार की डम्पिंग नहीं किया जा रही है और न ही हमे डम्पिंग करते हुए देखा गया है। अप्रार्थीगण का यह कथन है कि तहसीलदार, राजसमन्द की मौका रिपोर्ट में हमारे द्वारा जो उक्त आराजी पर डम्पिंग करना बताया है वह किसी ठोस, साक्ष्य एवं सबुत के आधार पर न होकर मात्र सुनीसुनाई बातो के आधार पर मौका पर्चा मे हमे दोषी माना है। आज तक खनिज विभाग के द्वारा हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कि गयी है और अप्रार्थीगण द्वारा खनिज विभाग की लीज शर्तो की पालना की जा रही है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि इस बिन्दु पर तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा कोई पृथक से गहराई मे जाकर जांच नहीं की गयी है तथा डम्पिंग के संबंध में ठोस, साक्ष्य, सबुत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अधिवक्ता द्वारकेश मार्बल सेन्टर का यह भी कथन है कि द्वारकेश मार्बल सेन्टर द्वारा दिनांक 24.09.2019 को ही यह खनन पट्टा धोलीखान मार्बल से खरीदा गया है। अतः मैसर्स द्वारकेश मार्बल सेन्टर को इससे पूर्व की गयी डम्पिंग के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

बहस सूनी गयी। पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, राजसमन्द की रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि उक्त आराजी के आस–पास की खानों द्वारा लम्बे कई वर्षो से डम्पिंग की जा रही है। हांलाकि पत्रावली पर इस बात का स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि किस खान द्वारा कब और किस मात्रा में डम्पिंग की गयी है। अतः उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि अप्रार्थीगण एवं आस–पास के क्षेत्र की अन्य खाने गैर अनुमोदित आराजी पर मलबा डम्प ना करे। अप्रार्थीगण को खनिज विभाग द्वारा अनुमोदित स्थानो पर ही मलबा डम्प करने के लिए पाबंन्द किया जाता है। सभी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अप्रार्थीगण संबंधित माईनिंग इंजीनियर से अपने–अपने मलबा डालने की भूमि को सत्यापित करावें। एवं उसके उपरान्त ही खान का संचालन विधिवत रूप से किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र भी खनिज विभाग में प्रस्तुत करें कि भविष्य में उनके द्वारा गैर अनुमोदित स्थान पर डम्प नहीं किया जावेगा और अगर डम्प किया जाता है तो विधिवत रूप से लीज निरस्त इत्यादि कानूनी कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी। संबंधित माईनिंग इन्जीनियर व फोरमेन को पाबंन्द किया जाता है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में अप्रार्थीगण या अन्य खानों द्वारा गैर अनुमोदित बिलानाम भूमियों पर डम्पिंग नहीं की जावें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर कार्यवाही का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय की प्रति खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम राजसमन्द को उपरोक्तानुसार पालनार्थ प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 30.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद